| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|

30 6/25

पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित भूमियां प्रार्थी की खातेदारी भूमियां है जिन पर प्रार्थी पीढी दर पीढी शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी के खाते की भूमि के सहारे अप्रार्थी हरलाल के खाते की भूमि है अप्रार्थीगण लडाकू व्यक्ति है तथा आस पडौस के खातेदारों की भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा रहते है। अप्रार्थीण प्रार्थी के खाते की भूमि पर कब्जा करने की नियत से दोनो की भूमियों की बीच में हो रही कांटों की बाड को धीरे–धीरे खिसकाते रहते है प्रार्थी की बाड को अपनी बाड बताकर प्रार्थी को अपने खेत पर बाड नहीं करने देते है। अप्रार्थीगण के खाते की भूमि ख0सं0 234 के पश्चिम में एक बरसाती नाला निकला हुआ है जिसके आगे ख0सं0 233 है, उक्त बरसाती नाला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसको अप्रार्थीगण ने हांक कर अपने खेत में मिला लिया है और उक्त बरसाती नाले को प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा सं0 236 के पश्चिम की तरफ खेत के सहारे निकाल दिया है जिससे बरसात के समय प्रार्थी की खाते की भूमियों में पानी भर जाता है व प्रार्थी को आर्थिक नुकसान उठाना पडता है। सरकारी नाले को अवरूद्ध करने की हमने शिकायते दी है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई है प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि अप्रार्थीगण को पांबद कराये की प्रार्थी के खाते की भूमि पर कब्जा नहीं करें। बाड करने पर व्यवधान पैदा नहीं करें। व नाले को पूर्व स्थिति में बहाल करवायें। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वकील प्रार्थी के तथ्यों के खंडन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमियों के मध्य बरसाती नाला स्थित है लेकिन प्रार्थी उक्त बरसाती नाले को पार कर अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करना चाहता है प्रार्थी व अप्रार्थी की भूमियों के मध्य कांटों की बाड नहीं होकर बरसाती नाला है और नाले के उपर प्रार्थी ने कांटों की बाड कर रखी है। वर्तमान में मौके पर नाला चालू है प्रार्थी उक्त नाले को पर कर हमारी भूमियों पर कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी की शिकायत पर जांच करने पर कोई गलती नहीं पाई जाने से शिकायत खारिज कर दी गई थी। पूर्व में प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने पर उसकी भूमि पर उसका ही कब्जा पाया गया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

P.T.O.→

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|

है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है फिर भी प्रार्थी आये दिन नाले को नष्ट करने व हमारी भूमियों पर कांटों की बाड करने पर आमादा है। मौके पर कोई वाद कारण नहीं है केवल हमें परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील पक्षकारान द्वारा द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 454 व 543 वाके ग्राम चेंता में स्थित है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है।

प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

1. प्रथम दृष्ट्या मामला :– विवादित भूमि खाता संख्या 454 व 543 वाके ग्राम चेंता में स्थित है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी द्वारा दखल करने का ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है। जिससे की विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा दखल किया जाना प्रमाणित हो स्वंय अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर उसका स्वंय का कब्जा होना व दोनो पक्षों की भूमियों के मध्य बरसाती नाला स्थित होना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा व्यवधान करना दर्शित नहीं होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बन रहा है।
2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 454 व 543 वाके ग्राम चेंता में स्थित है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी द्वारा दखल करने का ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया है। जिससे की विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा दखल किया जाना प्रमाणित हो स्वंय अप्रार्थीगण ने भी प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर उसका स्वंय का कब्जा होना व दोनो पक्षों की भूमियों के मध्य बरसाती नाला स्थित होना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा व्यवधान करना दर्शित नहीं होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नहीं बन रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

P.T.O.

| हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|

3. अपूर्णीय क्षति की संभावना :– :– विवादित भूमि खाता संख्या 454 व 543 वाके ग्राम चेंता में स्थित है, जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमियों के मध्य बरसाती नाला स्थित होने व अप्राथीगण द्वारा कब्जा करने व दखअंदाजी किया जाना प्रमाणित नहीं होने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बन रही है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नहीं बनने एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बनने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली